अत्यावश्यक
(COVID-19)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः–प 33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांकः 23.03.2020

आदेश

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2020 की निरन्तरता में समस्त राज्य में दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 6.00 बजे से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर भी दिनांक 31.03.2020 तक रोक लगायी जाती है।

कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको आदेश दिनांक 22.03.2020 के अन्तर्गत लॉकडाउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को दिनांक 26.03.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26.03.2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26.03.2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ, राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने विभाग/संस्थान द्वारा जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निजी वाहन से अपने निवास से कार्यालय स्थल जाने एवं आने के लिए अनुमत रहेंगे। इनको अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

यदि किसी व्यक्ति / परिवार को आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वह इस संबंध में सीमित समय हेतु अनुमति ले सकता है, जिसको जारी करने के लिए जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त अधिकृत होंगे।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/ राज्यमंत्रीगण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।

(भानु कुमार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-2, जयपुर जिला, जयपुर